(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 1496-दो/12 विरुद्ध आदेश दिनांक 03.04.2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 83/निगरानी/अपील/2010-11

---

1. कल्लू तनय स्व. श्री किब्बू उर्फ गोकुल अहीर
   निवासी राजनगर तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0
2. पन्नू तनय स्व0 श्री किब्बू उर्फ गोकुल अहीर (मृत)

वारिसान

अ. श्रीमती गेंदा बाई आयु 42 वर्ष बेवा पन्नू अहीर

ब. सुधीर आयु 24 वर्ष पुत्र स्व0 पन्नू अहीर

स. नीरज आयु 15 वर्ष

द. उमेश आयु 12 वर्ष

दोनों नाबालिग पुत्र स्व. पन्नू अहीर बलीसरपरस्त

माँ श्रीमती गेंदाबाई बेवा पन्नू अहीर निवासीगण तहसील के पास राजनगर

जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. श्रीमती गिरजा पत्नी मुलायम सिंह यादव
   निवासी ग्राम पठापुर तह0 व जि0 छतरपुर (म.प्र.)
2. श्रीमती गुर्रो पत्नी श्री रक्षपाल यादव
   निवासी श्रीनगर तहसील व जिला महोबा (उ.प्र.)
3. श्रीमती लल्ला बाई बेवा किब्बू उर्फ गोकुल अहीर
   निवासी राजनगर तह0 राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश श्रीवास्तव

आदेश

(आज दिनांक 20/02/2018 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 83/निगरानी/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2012 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 एवं 2 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 19.07.2004 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा-5 के आवेदन का निराकरण न करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2011 पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो उन्होंने अपने आदेश दिनांक 03.04.2012 द्वारा स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. अनावेदक को लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 06.02.2018 को सात दिवस का समय दिया गया था, परंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

5. प्रकरण का अवलोकन किया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्र. 1 एवं 2 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 19.07.2004 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 25.04.2010 को अपील

प्रस्तुत की गई, अपील के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। परंतु उनके द्वारा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन का निराकरण किए बिना सीधे अंतिम आदेश पारित किया जाकर अपील को स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को कलेक्टर ने इसी आधार पर स्वीकार करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अवधि बाह्य प्रस्तुत प्रकरणों में सर्वप्रथम अवधि के बिन्दु का निराकरण किया जाना चाहिए तदुपरांत ही गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह अपने स्थान पर उचित एवं न्यायिक है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर